बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

–:: अधिसूचना ::–

स0क0स्था0(मु0)–82 / 2022 –677/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** –
   (1) यह नियमावली ''बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026'' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–
   (i) **'सेवा'** से अभिप्रेत है दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा;
   (ii) **'आयोग'** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (iii) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
   (iv) **'नियंत्री पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;
   (v) **'नियत तिथि'** से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरम्भ होने की तिथि;
   (vi) **'सीधी भर्त्ती'** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
   (vii) **'सदस्य'** से अभिप्रेत है दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा में नियुक्त व्यक्ति;
   (viii) **'सरकार'** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ix) **'विभाग'** से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग।

3. **संवर्ग की संरचना।** – यह एक राज्य स्तरीय सेवा होगी जो समाज कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत होगी :–

क्र0	कोटि का नाम	नियुक्ति का स्त्रोत	स्तर
(क)	सहायक निदेशक	सीधी भर्त्ती	राजपत्रित (मूल कोटि)
(ख)	उप निदेशक	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (प्रथम प्रोन्नति स्तर)
(ग)	संयुक्त निदेशक	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)

4. **संवर्ग बल।** – सवंर्ग का वेतनमान एवं संवर्ग बल वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

5. **भर्ती।** –
   (i) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा की मूल कोटि में की जाएगी।
   (ii) **नियुक्ति प्राधिकार** प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।
   (iii) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
   (iv) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर एक वर्ष के लिए की जाएगी।

6. **अर्हताएँ।** – (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होगी।

(ii) भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

7. **आरक्षण।** – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **परिवीक्षा।** – किसी मौलिक पद के विरूद्ध नियुक्त मूल कोटि के प्रत्येक पदाधिकारी अपने पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर लिखित किये जा सकने वाले कारणों को अभिलिखित करते हुए इसे अगले एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण** :– सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा।** – विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठयक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद/बिपार्ड द्वारा किया जाएगा।

11. **सम्पुष्टि।** – (1) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :–

(क) निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया हो,
(ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो,
(ग) कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त हो,
(घ) परिवीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक एवं नियमित रही हो।

12. **वरीयता।** – इस नियमावली के अधीन इस सेवा में भर्त्ती किये गये पदाधिकारी की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के मेधा क्रमांक के अनुसार अवधारित की जाएगी। इस सेवा के सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण, राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

13. **प्रोन्नति।** – इस सेवा के द्वितीय पद सोपान एवं उसके ऊपर के सभी पद सोपानों पर नियुक्ति नीचे के पद सोपानों के पदाधिकारियों में से वरीयता सह योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि पूरी करना एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण करना तथा सेवा सम्पुष्ट होना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रोन्नति संबंधी निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना इस सेवा के प्रोन्नति संबंधी मामलों में लागू होंगे।

14. **अवशिष्ट मामले।** – ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गो के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

15. **कठिनाई का निराकरण।** – यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और उक्त कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।

16. **निर्वचन।** – जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात विनिश्चय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

17. **निरसन और व्यावृत्ति।** – (1) इस सेवा से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प एवं अनुदेशों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० 3/2/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :– स0क0स्था0(मु0)–82/2022 –677, पटना, दिनांक –3.2.2026

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० 3/2/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :– स0क0स्था0(मु0)–82/2022 –677, पटना, दिनांक –3.2.2026

प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 3/2/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :– स0क0स्था0(मु0)–82/2022 –677, पटना, दिनांक –3.2.2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 3/2/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :– स0क0स्था0(मु0)–82/2022 –677, पटना, दिनांक –3.2.2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 3/2/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

Government of Bihar
Social Welfare Department
Notification

File No.-Social Wel (Hqr.)-82/2022 677/Patna, dated ....

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for regulating appointment and Condition of service in Bihar Person's with Disabilities Empowerment Service under Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities under the control of Social Welfare Department :-

1. **Short title, extent and commencement :-**

(i) These Rules may be called as the Bihar Person's with Disabilities Empowerment Service (recruitment and service conditions) Rules, 2026

(ii) It shall extend to the whole State of Bihar.

(iii) It shall come in force from the date of its publication in the gazette.

2. **Definition :-** In these rules, unless the context otherwise requires.

(i) "Service" means, Bihar Person's with Disabilities Empowerment Service

(ii) "Commission" means, Bihar Public Service Commission

(iii) Appointment Authority means, the Appointing Authority as defined in Bihar Rules of Executive Rules Business.

(iv) Controlling Officer" means, Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary, Social Welfare Department

(v) "Due date" means, the date of commencement of this rule

(vi) "Direct recruitment" means Appointment made on the basis of competitive examination, conducted by the Bihar Public Service Commission

(vii) "Members" means, Person appointed in Bihar Person's with Disabilities Empowerment Service.

(viii) "Government" means, Government of Bihar

(ix) "Department" means, Social Welfare Department

3. **Structure of cadre :-** This will be a state level service, which will be under the administrative control of Social Welfare Department.

The Cadre structure of various categories of posts of this service will be as follows service :-

Sl. No.	Name of Category	Source of appointment	Level
1	2	3	4
(A)	Assistant Director	Direct recruitment	Gazetted (basic category)
(B)	Deputy Director	By Promotion	Gazetted (first promotional level)
(C)	Joint Director	By promotion	Gazetted (second promotional level)

4. **Cadre strength :-** The Pay scale of cadre strength of the cadre will be the same as determined by the State Government time to time.
5. **Recruitment :-** (i) All direct recruitments will be made in the basic category of Bihar Person's with Disabilities Service in basic category on the recommendation of the commission.

   (ii) The Appointing Authority will calculate the vacancies on 1st April of every year and send the requisition to the Commission by 30th April.

   (iii) The Commission will advertise the vacancies and after selecting the successful candidates on the basis of competitive examination, will recommend the names of the candidates in the order of merit to the concerned appointing authority. The validity of the merit list will remain for one year from the date of receipt of the recommendation from the Department.

   (iv) After due scrutiny, the appointing authority will appoint the candidate on probation for a period of one year.
6. **Qualifications :-** (i) The minimum educational qualification will be graduation from a recognized University.

   (ii) The minimum age limit for recruitment will be 21 years and the maximum age limit will be as prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time.
7. **Reservation :-** Compliance of Reservation roaster in appointment/ promotion as per the Rules and procedure from time to time by General Administration Department, Bihar, Patna is mandatory.
8. **Probation :-** Every substantive category officer appointed against a substantive post will be on probation for a period of one year from the date of his joining. If the service is not satisfactory during the probation

period, it can be extended for another year by recording reasons to be recorded in writing. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

9. **Training :-** It will be mandatory for the officer appointed by direct recruitment to receive training as prescribed by Department during Probation Period.

10. **Departmental Examination :-** The Departmental Examination will be conducted by the Board of Revenue. The subject, syllabus and procedure of departmental examination will be decided by the Central Examination Committee, Board of Revenue in consultation with the department. The departmental examination will be organized by Board of Revenue /BIPARD.

11. **Confirmation :-** A person appointed on probation will be eligible for confirmation in service on the expiry of the probation period subject to the following conditions :-
    - (A) The prescribed training has been completed.
    - (B) Must have passed the departmental examination.
    - (C) Should have received treasury training.
    - (D) The conduct and service during the probation period should have been satisfactory and regular.

12. **Seniority :-** The inter-se-seniority of the officers recruited to the service under these rules will be determined according to the merit number in the merit list recommended by the Commission. The inter-se-seniority of the members of this service will be determined in accordance with the principles and procedure prescribe from time to time by the State Government (General Administration Department).

13. **Promotions :-** Appointment to the second post level of this service and all the above post levels will be done on the basis of seniority-cum-merit from among the officials of the lower post levels on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee.

    For promotion, it will be mandatory for the officers to complete the minimum period prescribed for promotion to various post by the General Administration Department and complete satisfactory service and have confirmed in service. The resolutions/circulars/notifications issued from time to time by the General Administration Department related promotion will be applicable in matters related to promotion of this service.

14. **Residual Matters :-** In respect of matters not specifically covered by these rules, the members of the cadre shall be dealt with the rules, regulations or orders applicable to officers/employees at appropriate level of the State Government.

15. **Removal of difficulties :-** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the Government may from time to time make such provision by general or special direction, which is not inconsistent with the provisions of these rules and is necessary and be expedient to resolve the said difficulty.

16. **Execution :-** Where any doubt arises regarding the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision will be taken by the Department after consultation with the Law Department and its decision will be final.

17. **Repeal and saving :-** (1) All resolutions and instructions issued earlier related to this service are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolution and instructions shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or action was taken.

By order of Governor of Bihar

3/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.:- Social Wel (Hqr.)-82/2022 677 /Patna, dated 3.2.2026

Copy to :- E-gazette cell, Finance Deptt., Government of Bihar,Patna with C.D. and haed Copy for Publication in Bihar Official Gazette.

3/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.:- Social Wel (Hqr.)-82/2022 677 /Patna, dated 3.2.2026

Copy to :- Member Board of Revenue/ All Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna for information.

3/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.:- Social Wel (Hqr.)-82/2022 ..677... /Patna, dated ..3.2.2026..........

Copy to :- Accountant General (Accounts & Entitlement) Bihar, Patna/ Officer in-charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar, Patna/Managing Director, Women and Child Development Corporation/ Director, Directorate of ICDS/ Director, Directorate of Social Security/ Director, Directorate of Social Welfare/ Director, Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities/ Secretary, Bihar Child Rights Protection Commission, Patna/ Chief Executive Officer, SAKSHAM, Patna/ State Commissioner Disability, State Commissioner for Persons with Disabilities/ Vice Chairman, State Child Protection Committee/ Chairman, Bihar State Women Commission/All Divisional Commissioner, Bihar/ All District Magistrate, Bihar, All Assistant Director, District Disability Empowerment Cell, Bihar for information and necessary action.

3/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.:- Social Wel (Hqr.)-82/2022 ..677... /Patna, dated ..3.2.2026..........

Copy to :- Personal Secretary to Minister, Social Welfare Department / Sr. Principal Personal Secretary to Secretary, Social Welfare Department /All Departmental Officer/ I.T. Manager, Social Welfare Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

3/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.